बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

ई–मेल

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : -वी,-3- 112/2019 - 6337 पटना, दिनांक 26 अगस्त, 2019 ई०।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

विषय :– फोटो निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 कार्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग :–
1. **भारत निर्वाचन आयोग का पत्र 23/2019-ERS (Vol III) दिनांक 25.07.2019.**
2. **भारत निर्वाचन आयोग का पत्र 23/2019-ERS (Vol III) दिनांक 25.07.2019.**
3. **भारत निर्वाचन आयोग का पत्र 23/2019-ERS (Vol III) दिनांक 31.07.2019.**

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन किया जाये जिसके द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 का कार्यक्रम भेजा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार दिनांक 01.01.2020 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुये फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नवत् संसूचित है :–

स.क्र.	गतिविधियाँ	अवधि
1.	पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ I. डीएसई, लॉजिकल एरर एवं मतदाता फोटो क्वालिटी का सत्यापन	01.08.2019 (गुरूवार) से 31.08.2019 (शनिवार)
	II. Electors Verification Programme (EVP)	01.09.2019 (रविवार) से 30.09.2019 (सोमवार)
2.	बी.एल.ओ. द्वारा घर–घर जाकर सत्यापन	01.09.2019 (रविवार) से 30.09.2019 (सोमवार)
3.	मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन	06.09.2019 (सोमवार) से 15.10.2019 (मंगलवार)
पुनरीक्षण गतिविधियाँ		
4.	एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन	15.10.2019 (मंगलवार)
5.	दावे आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि	15.10.2019 (मंगलवार) से 30.11.2019 (शनिवार)
6.	विशेष अभियान दिवस	02.11.2019 (शनिवार) एवं 03.11.2019 (रविवार) 09.11.2019 (शनिवार) एवं 10.11.2019 (रविवार)
7.	दावे आपत्तियों का निराकरण	15.12.2019 (रविवार) से पूर्व
8.	निर्वाचक नामावली का विभिन्न मानकों पर परीक्षण एवं अन्तिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की तिथि	25.12.2019 (बुधवार) से पूर्व
9.	डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरक का प्रकाशन	31.12.2019 (मंगलवार) से पूर्व
10.	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	01.01.2020 (बुधवार) से 15.01.2020 (बुधवार) (आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक के अनुसार)

आयोग के निदेशानुसार पुनरीक्षण एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा जिसमें की अर्हता दिनांक 01.01.2020 रहेगी और उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार होगा। निर्वाचक नामावली 2016 के मेनुअल में दिये गये प्रावधानों और संबंधित निदेशों के अनुसार पुनरीक्षण का कार्य संपादित किये जायेंगे।

2. **<u>पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ</u> :–**

I. निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही नामावली पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होता है, इसलिये विभिन्न पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों को निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पहले पूर्ण किया जाना होगा। उक्त के क्रम निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाये :–

- ✓ परिवार के सदस्यों का नाम एक ही प्रभाग में दर्ज किया जाये।
- ✓ ईआरओ नेट के माध्यम से प्रभागों का समुचित रूप से गठन, गृह संख्या दर्ज करना एवं गृह संख्या का जी.आई.एस. के माध्यम से चिन्हीकरण।
- ✓ मतदान केन्द्र के निम्न तल पर अवस्थित होने संबंधी सूचना ईआरओ नेट में दर्ज करना।
- ✓ मतदाताओं की मतदान केन्द्र से दूरी 2 कि.मी. से अधिक न होने एवं कोई प्राकृतिक बाधाओं को पार न किए जाने की पुष्टि की जाये।
- ✓ चिन्हित दोहरी/एकाधिक/डेमोग्राफीक समान/मृत निर्वाचकों की प्रविष्टियों को फार्म 7 के माध्यम से नोटिस देने के पश्चात नियमानुसार विलोपित करने की कार्रवाई करना।
- ✓ 100 प्रतिशत मतदान केन्द्रों का सत्यापन एवं राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करना।
- ✓ छूटे हुए एवं भावी मतदाताओं की प्रविष्टि डाटाबेस में सुनिश्चित करना।

II. प्रारूप प्रकाशन से पूर्व सभी लॉजिकल एरर, डी.एस.ई., पते को सही करना तथा धुंधले एवं खराब फोटोग्राफ को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई पूर्ण करना।

III. भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा Electors Verification Programme (EVP) से पूर्व दिनांक 01.08.2019 से 15.08.2019 तक निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने के निदेश दिये गये हैं :–

- ✓ शिक्षित नागरिक, राजनैतिक दलों और अन्य हितधारकों के लिये, उपयुक्त रेडियो जिंगल्स, पोस्टर आदि के साथ SVEEP योजना तैयार की जाये।
- ✓ राजनैतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें EVP कार्यक्रम की जानकारी दी जाये एवं पूर्ण सहयोग देने हेतु आमंत्रित किया जाये।
- ✓ आयोग के पत्रांक 23/CSC/2019 दिनांक 27.03.2019 के अनुसार CSCs एवं Voter Facilitation Centres नागरिकों के सत्यापन के लिये सुविधा देने के लिये स्थापित किये जाये। यदि CSCs की सुविधा उपलब्ध न हो तो राज्य के अन्य विशिष्ट सेंटर से मदद ली जाये जो नागरिकों को समान सेवायें दे सकें। इस हेतु CSCs एवं अन्य सेन्टरों के साथ बैठक आयोजित कर उनकी मदद ली जाये, जो नागरिकों को ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर भी इसकी सूची प्रदर्शित की जानी है।
- ✓ जहां इन्टरनेट/मोबाईल की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और न ही CSCs/facilitation centres उपलब्ध है, वहां (स्वयं के माध्यम से अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रदत) BLONET के माध्यम से ई.वी.पी. के लिये मतदाताओं की जानकारी एकत्रित की जानी है। यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि सत्यापन केवल बी.एल.ओ. द्वारा ही किया जाना है।
- ✓ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर (IT Manager) एवं सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों को EVP से संबंधित प्रशिक्षण दिनांक 20.08.2019 को प्रदान किया गया है जिसके आलोक में दिनांक 01.09.2019 के पूर्व जिला स्तर पर सभी ERO/AERO/BLO को प्रशिक्षित करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जानी है।

- ✓ जिला स्तरीय Voter Facilitation Centre दिनांक 31.08.2019 के पूर्व सक्रिय हो जाना चाहिये। DCC, SCSs एवं चयनित स्वयंसेवकों, यदि कोई हो, को इस अवधि के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त दिशा–निदेश भी दिये जायें।
- ✓ EVP के तहत सामान्य जनों के आच्छादीकरण और गतिशीलता गतिविधियों के लिये BAG, स्थानीय अधिकृत, RWA परिसर के Ambassadors को सक्रिय रूप से शामिल किया जाये।
- ✓ आंकड़ों की सटीक समेकन के लिये हरसंभव सूचना संग्रह और सत्यापन आदि डिजिटल रूप से किया जाये। इस हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा तकनीकी जानकार बी.एल.ओ. का चयन किया जाये और उनका उपयोग सत्यापन के लिये किया जाये।
- ✓ जिला स्तर और विधान सभा स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की पहचान और नियुक्ति के लिये यह निदेशित किया जाये कि वे NVSP के माध्यम से बूथ स्तर के लिये बी. एल.ए. नियुक्त करें।
- ✓ विधान सभा स्तर, जिला और बूथ स्तर पर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को उनके प्रतिनिधि लॉगिन के तहत NVSP पर "view only" सुविधा दी जायेगी, जिसमें वे निर्वाचक नामावली की गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम/जानकारी जैसे कि फार्म 9, 10, 11, 11ए देख सकेंगे। ई.आर.ओ. द्वारा पारित किये गये आपत्तियों और आदेशों के बाद, जहां आवश्यक हो, आपत्तियाँ उठाई जा सकती है। उक्त संबध में राजनैतिक दलों को समय रहते सूचित किया जाना होगा।
- ✓ आयोग द्वारा निदेश दिया है कि प्रारूप प्रकाशन की तिथि तक विलोपित किये गये निर्वाचकों के नाम स्पष्ट रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना है और संबंधित निर्वाचक को भी सूचित किया जाये।

IV. <u>Electors Verification Programme (EVP) :-</u>

a) भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा Electors Verification Programme (EVP) कार्यक्रम संसूचित किया गया है जिसे पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के दौरान स्वीप गतिविधियों के माध्यम से दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2019 तक पूर्ण किया जायेगा। इस अभियान में निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता का सत्यापन निम्न दस्तावेजों के आधार पर किया जाए :–

- ✓ पासपोर्ट
- ✓ ड्राईविंग लाईसेंस
- ✓ आधार कार्ड
- ✓ राशन कार्ड
- ✓ शासकीय/अर्ध शासकीय अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र
- ✓ बैंक पासबुक
- ✓ किसान पहचान पत्र

b) आमजन अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए "Voter Helpline" मोबाईल एप्प, NVSP पोर्टल, पर कॉमन सर्विस सेन्टर की मदद से तथा बीएलओ एवं ईआरओ के पास फॉर्म जमा कर निम्न पद्धति से निर्वाचकों की प्रविष्टियों के Authentication का कार्य कर सकते हैं :–

- ✓ मतदाता की जानकारी में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो स्वतः फार्म 8 जनरेट होगा एवं उक्त फॉर्म के आधार पर जानकारी को सही करते हुए इसे पुनः अपलोड किया जायेगा।
- ✓ मृत/स्थानान्तरित मतदाता की स्थिति में फॉर्म 7 उपलब्ध होगा एवं किसी रिश्तेदार/परिवार के सदस्य की लिखित सहमति के आधार पर नाम विलोपित करने की कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
- ✓ अपंजीकृत व्यक्तियों से फार्म 6 प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

✓ भावी मतदाताओं की जानकारी डाटाबेस में दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

✓ दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी 1950 के माध्यम से दर्ज की जायेगी।

c) बीएलओ के द्वारा किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वेरिफिकेशन कराया जाए।

V. <u>मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और प्रभाग निर्माण के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई :–</u>

(i) भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार ऐसे सभी मतदान केन्द्र जिसमें अधिकतम सीमा से अधिक निर्वाचक है उन सभी मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण/परिवर्तन निम्नानुसार किये जाने होंगे :–

a) लोकसभा निर्वाचन, 2019 के दौरान बनाये गये सहायक मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्रों में परिवर्तित करना।

b) जीर्ण/शीर्ण मतदान केन्द्र के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव भेजने के पूर्व मतदान केन्द्रों का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन/निरीक्षण उनके अक्षांश और देशांतर के साथ कर लिया जाए। सभी मतदान केन्द्रों के अक्षांश और देशांतर, नवीन चिन्हित और प्रस्तावित मतदान केन्द्रों के निर्माण/परिवर्तन की जानकारी ईआरओ नेट डैशबोर्ड में तत्समय अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाना सुनिश्चित किया जाए।

c) जिन मतदान केन्द्रों में मतदाता नहीं है उन्हें विलोपित किया जाए।

d) आयोग के निदेशानुसार ऐसे सभी मतदान केन्द्र जिसमें उपरी सीमा से अधिक निर्वाचक है उन सभी मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण/परिवर्तन दिये कार्यक्रम के अनुसार किया जाए और निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व मतदान केन्द्र से संबंधित मेनुअल 2016 के निर्देशों के अनुसार युक्तिकरण किया जाए। एक नया मतदान केन्द्र का निर्माण तब ही किया जायेगा जबकि आसपास स्थित मतदान केन्द्रों के प्रभागों का युक्तिकरण हर संभव हद तक कर लिया गया हो।

(ii) परिवार के सभी सदस्यों तथा नजदीक में रहने वाले पड़ोसी मतदाताओं के नाम उस मतदान केन्द्र के एक ही प्रभाग में होना सुनिश्चित किया जाये।

(iii) उचित प्रभाग के निर्माण के लिये निम्न ईकाई बनाई जा सकती है–

✓ न्यूक्लियर/तत्काल परिवार (पति, पत्नी और पात्र बच्चे)

✓ संयुक्त परिवार/घर (बहुत सारी न्यूक्लियर परिवार जो कि आपसं में संबंधित है और एक ही स्थान पर रहते हैं, उनका समूह)

✓ द्वार/मकान क्रमांक

✓ भवन/ब्लॉक/टॉवर जिसमें कि बहुत सारे द्वार/मकान हों

✓ सड़क

(iv) प्रभाग और पते का मानकीकरण :– निर्वाचक नामावली तैयार करते समय प्रभाग और पते का मानकीकरण ग्रामीण और शहरी के आधार पर निम्नानुसार किया जाना है :–

a) मकान नं./फ्लैट नं./दरवाजा नंबर (मकान का नाम, यदि उपलब्ध हो तो)*

b) गृहतल क्रमांक (मल्टी–स्टोरी बिल्डिंग होने की स्थिति में)

c) बिल्डिंग नंबर/ब्लॉक नंबर/टॉवर नंबर (बिल्डिंग का नाम, यदि उपलब्ध हो तो)

d) अपार्टमेंट नंबर

e) विंग (Wing)

f) वार्ड नंबर*

g) स्ट्रीट/रोड/लेन*

h) सेक्टर

i) क्षेत्र/स्थान*

j) सीमाचिन्ह (यदि कोई हो तो)

k) गांव/नगर/शहर *

l) उप जिला/तहसील

m) जिला*

n) राज्य *

o) पिनकोड*

(*) के साथ चिन्हित फील्ड को अनिवार्य रूप से निर्वाचक के विवरण में वर्णित किया जाना है जबकि शेष फील्ड को वैकल्पिक फील्ड के रूप में लिया जा सकता है और जहां भी आवश्यक हो, शामिल किया जाना है। उक्त अनिवार्य फील्ड के लिये ई.आर.ओ. नेट में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में मकान नंबर उपलब्ध नहीं है, वहां पंचायत/नगरपालिका के माध्यम से काल्पनिक नंबर दिये जाने की कार्रवाई की जाये। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मकान नंबर अनिवार्य फील्ड है। पता अनिवार्य फील्ड है, इसे ईपिक में उसी तरह परिलक्षित किया जाएगा जैसा मतदाता सूची में है।

(v) मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में गृह संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाए।

(vi) नवीन मतदान केन्द्र बनाए एवं युक्तिकरण करने से पूर्व वर्तमान प्रभागों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाये :–

- ✓ कोई भी परिवार को तोड़ना नहीं है, और सभी पंजीकृत परिवार के सदस्यों को एक प्रभाग और एक ही गृह संख्या में रखना है।
- ✓ एक भवन में निवासरत निर्वाचकों का पंजीकरण एक ही भाग में होना चाहिये।
- ✓ जहां तक संभव हो एक सड़क पर निवासरत निर्वाचकों का पंजीकरण एक भाग में होना चाहिये।
- ✓ इस प्रकार निर्मित/संलग्न किये हुये मतदान केन्द्रों के मतदाता को दो किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना चाहिये और न ही कोई प्राकृतिक अवरोध जैसे नदी, तालाब आदि को पार करना चाहिये।

5. **प्रारूप प्रकाशन :–** जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे एवं नामावली का प्रारूप प्रकाशन लॉजिकल एरर के विलोपन, 100 प्रतिशत फोटोग्राफ आच्छादित, ईपिक सिरिज सही किए जाने के उपरान्त ही किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन के समय जो भी विसंगति निर्वाचक नामावली में दर्ज पाई गई थी उनका निराकरण किया जाए।

6. **दावे और आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन :–**

6.1 निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम क्रमांक 16 के अनुसार ईआरओ दावे और आपत्तियों की सूची फॉर्म–9, 10, 11 और 11–ए में तैयार करेंगे और इन सूचियों की एक प्रति अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर उपलब्ध दावे आपत्ति की सूची के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दावे आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उसका निराकरण समय सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.2 ईआरओ को साप्ताहिक आधार पर सभी राजनैतिक दलों को दावे और आपत्तियों की सूची प्रदान करनी है, इस उद्देश्य के लिये जिला/विधानसभा स्तर पर नियमित अंतराल पर सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलाई जाये एवं दावे आपत्तियों की सूची उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराई जाए और उसकी पावती ली जाए।

7. **दावे और आपत्तियों पर निर्णय :–** दावे और आपत्तियों पर निर्णय निम्न शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही लिया जाए :–

I. कम से कम **सात दिन** का समय दावे आपत्तियों की सूची निम्न स्थानों पर प्रकाशन के बाद पूरा हो जाना चाहिये –

- ✓ ईआरओ के नोटिस बोर्ड पर (निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के फॉर्म–9, 10, 11 और 11–ए में)
- ✓ मतदान केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर (निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के फॉर्म–9, 10, 11 और 11–ए में)
- ✓ मृत मतदाताओं के प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना दी जा चुकी है जिसका नाम विलोपित करने का प्रस्ताव है।

II. राजनैतिक दलों को दावे और आपत्तियों की सूची देने के पश्चात **सात दिन** का समय पूरा हो चुका हो।

8. **नाम विलोपन की प्रक्रिया :–**

8.1 **दोहरी/एकाधिक प्रविष्टियों को हटाना :–** दोहरी और एकाधिक प्रविष्टियाँ जिनकी रिपोर्ट व्यक्ति, राजनैतिक दलों के मतदान केन्द्र एजेन्ट और रहवासी कल्याण समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई है ऐसी प्रत्येक शिकायत या रिपोर्ट का स्थल सत्यापन किया जाए। यदि निर्वाचक नहीं पाया जाता है तो फार्म 7 के द्वारा नियमानुसार नोटिस देकर नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाये।

8.2 **डेमोग्राफिक समान प्रविष्टियों (DSEs) स्थाई स्थानांतरित निर्वाचकों को हटाना :–**

- ✓ सत्यापित पॉजिटिव (DSEs), स्थाई स्थानान्तरित मतदाताओं के नाम प्ररूप 7 में आवेदन लेने के बाद विलोपित कर दिया जायेगा एवं उक्त कार्रवाई के दौरान मतदाता के परिवार के सदस्य/रिश्तेदार को नोटिस आवश्यक रूप से दिया जाए।
- ✓ आयोग द्वारा यह भी निदेशित किया गया है कि सभी विलोपित किये जाने वाले निर्वाचकों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों में दी जाये एवं विलोपन की कार्रवाई नोटिस के 7 दिवस के उपरान्त ही की जाए।

8.3 **निर्वाचक नामावली से गलत विलोपन रोकने के लिये उपाय :–**

- ✓ मृत निर्वाचकों का पूर्णतः सत्यापन उपरान्त ही नाम विलोपन की कार्रवाई की जाए।
- ✓ फॉर्म 7 के आधार पर ही नाम विलोपन की कार्रवाई की जाये।
- ✓ बीएलओ द्वारा स्थल सत्यापन कर मृत/स्थानान्तरित प्रकरणों में बीएलओ द्वारा अपनी टिप्पणी आवश्यक रूप से दी जाए।
- ✓ स्थानान्तरण के मामले में फॉर्म 6 एवं फार्म 7 संबंधित से प्राप्त करें नवीन स्थान पर नाम जोड़ने से पूर्व ईआरओ द्वारा संबंधित के पुराने पते पर निवासरत होने की पुष्टि की जाए।
- ✓ नाम विलोपन के मामले में बीएलओ की रिपोर्ट आवश्यक है।
- ✓ फॉर्म 7 के सभी मामलों में नोटिस आवश्यक रूप से दिए जाए यदि बी.एल.ओ. स्थानांतरित निर्वाचक को ढूंढने में असफल रहता है तब नोटिस निर्वाचक के उस पते पर दो गवाहों की उपस्थिति में चस्पा कर दिया जायेगा एवं उनके हस्ताक्षर उक्त नोटिस पर लिए जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 21ए के अनुसार ईआरओ उक्त निर्वाचक को उचित अवसर देकर नाम विलोपन की कार्रवाई करेंगे। मृत्यु के प्रकरणों में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी के प्रमाण के उपरान्त नियमानुसार नाम विलोपन की कार्रवाई की जाए।
- ✓ मृत्यु के अतिरिक्त सभी विलोपनों का सत्यापन सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा उनके उपर के स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये इसके बाद ही फॉर्म–7 में अंतिम आदेश जारी होना चाहिये। उक्त पदाधिकारी फार्म 7 के प्रकरणों के 10 प्रतिशत प्रकरणों का स्थल सत्यापन रेण्डमली करेंगे।

- ✓ विलोपन के सभी प्रकरणों को ईआरओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किए जाये यदि वह निम्न श्रेणी मे आते हैं तो –
  - अ. यदि मतदान केन्द्र के मतदाता सूची में शामिल कुल वोटरों की संख्या का 2 प्रतिशत से अधिक विलोपित हो रहा हो।
  - ब. ऐसे विलोपन जहां कि एक ही व्यक्ति 5 प्रकरण से ज्यादा में आपत्ति करता है।
- ✓ मृत्यु के अतिरिक्त सभी विलोपनों का सत्यापन पर्यवेक्षक अधिकारियों जैसे बीएलओ, सुपरवाईजर, एईआरओ एवं ईआरओ द्वारा किया जाए।
- ✓ जिला निर्वाचन पदाधिकारी/उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा ईआरओ नेट पर उपलब्ध सुविधानुसार ऐसे विलोपन के मामलों में ईआरओ/एईआरओ द्वारा पारित आदेश को अनिवार्य रूप से जांचा जाए।

9. <u>सुपरवाईजर/एईआरओ/ईआरओ के द्वारा पर्यवेक्षण एवं जांच :–</u>

I. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि निर्वाचक नामावली की शुद्धता में वृद्धि करने के लिये बी.एल.ओ. द्वारा स्थल सत्यापन पर जोर दिया गया है। जैसी कि सामान्य प्रक्रिया है कि दावे और आपत्तियों की प्राप्ति एवं डिजीटाईजेशन के पश्चात ईआरओ संबंधित बी.एल.ओ. को दावे या आपत्ति से संबंधित स्थल सत्यापन के लिये नियुक्त करेंगे और बी.एल.ओ. स्थल सत्यापन के पश्चात अपनी रिपोर्ट ईआरओ को देंगे।

II. बी.एल.ओ. द्वारा किये गये कार्य की जवाबदेही निर्धारित करने के लिये पर्यवेक्षक एवं जांच की एक अच्छी व्यवस्था है। पर्यवेक्षक जिसके पास 10 बी.एल.ओ. का प्रभार रहता है वह प्रत्येक बी.एल.ओ. द्वारा किये गये सत्यापन कार्य का 5% कार्य का स्वयं सत्यापन करेंगे।

III. पर्यवेक्षक के उपर पदस्थ प्रत्येक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बी.एल.ओ. द्वारा किये गये सत्यापित कार्य का 1% कार्य का सत्यापन क्रमरहित तरीके से चुने हुये अपने क्षेत्र में करेंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने कार्यभार के अंदर आने वाले ऐसे घर जिसमें 10 से ज्यादा निर्वाचक रहते हैं, असामान्य लिंग अनुपात और पहले 20 ऐसे मतदान केन्द्र जहां पर कि सर्वाधिक मतदाता जोड़े या हटाये गये है का स्थलीय जांच भी करेंगे। ईआरओ भी बी.एल.ओ. द्वारा किये गये सत्यापित कार्य का 1% कार्य का सत्यापन करेंगे। जिन मतदान केन्द्रों में वर्तमान निर्वाचकों से 4% की वृद्धि हो रही है वहां पर सभी स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्ररूपों (दावे एवं आपत्तियों से संबंधित आवेदनों) की जांच की जाये।

IV. ईआरओ अपने एईआरओ के द्वारा निष्पादित दावे और आपत्तियों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करेंगे। वह एईआरओ के द्वारा निष्पादित सभी आवेदनों में से 10% आवेदन की जांच करेंगे। जहां भी आवश्यक हो वह स्थलीय सत्यापन भी करेंगे। ईआरओ अपने एईआरओ, पर्यवेक्षक और बी.एल.ओ. के साथ नियमित बैठकें कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य केवल औपचारिक तरीके से ही नहीं किया जा रहा है। **लापरवाह पदाधिकारियों को दण्ड दिया जायेगा** और सुधारात्मक कदम तुरंत उठाये जायेंगे क्योंकि त्रुटिरहित शुद्ध निर्वाचक नामावली तैयार करने की अंतिम जवाबदेही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की है।

10. <u>उप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक सूची प्रेक्षक द्वारा विशेष जांच :–</u>

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के बाद सत्यापित प्रविष्टियों की सुपर चेकिंग Dy. DEO, DEO, Roll Observer और CEO द्वारा की जायेगी, विशेष रूप से प्रविष्टियों की संख्या के लिये ERO-NET द्वारा randomly रूप से चयनित चेकिंग Dy. DEO, DEO, Roll Observer और CEO द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या निम्नानुसार है :–

I. Dy. DEO द्वारा जिले में 100 प्रविष्टियों (40 परिवर्धन + 40 विलोपन + 20 संशोधन) का सत्यापन किया जाना है। इन 100 प्रविष्टियों में से कम से कम 10 प्रविष्टियों का स्थलीय जांच किया जाना है। Dy. DEO द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाईज के साथ–साथ स्थलीय

जांच द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में अनिवार्य रूप से सुपरवाईजर AERO, ERO द्वारा पहले से सत्यापित की गई प्रविष्टियों को शामिल किया जाना है।

II. DEO द्वारा जिले में 50 प्रविष्टियों (20 परिवर्धन + 20 विलोपन + 10 संशोधन) का सत्यापन किया जाना है। इन 50 प्रविष्टियों में से कम से कम 5 प्रविष्टियों का स्थलीय जांच किया जाना है। DEO द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाईज के साथ–साथ स्थलीय जांच द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में अनिवार्य रूप से AERO, ERO एवं Dy. DEO द्वारा पहले से सत्यापित की गई प्रविष्टियों को शामिल किया जाना है।

III. Roll Observer द्वारा जिले में 50 प्रविष्टियों (20 परिवर्धन + 20 विलोपन + 10 संशोधन) का सत्यापन किया जाना है। इन 50 प्रविष्टियों में से कम से कम 5 प्रविष्टियों का स्थलीय जांच किया जाना है। Roll Observer द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाईज के साथ– स्थलीय जांच द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में अनिवार्य रूप से AERO, ERO, Dy. DEO एवं DEO द्वारा पहले से सत्यापित की गई प्रविष्टियों को शामिल किया जाना है।

IV. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य में 500 प्रविष्टियों (200 परिवर्धन + 200 विलोपन + 100 संशोधन) का सत्यापन किया जाना है। इन 500 प्रविष्टियों में से कम से कम 25 प्रविष्टियों का स्थलीय जांच किया जाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाईज के साथ–साथ स्थलीय जांच द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में अनिवार्य रूप से Dy. DEO, DEO एवं Roll Observer द्वारा पहले से सत्यापित की गई प्रविष्टियों को शामिल किया जाना है।

11. **चिन्हित निर्वाचक जैसे कि सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य, घोषित पदों पर आसीन कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, न्यायपालिका एवं जनसेवा के सदस्य आदि :–**

ईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सांसदों और विधायकों, घोषित पदों पर आसीन कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, न्यायपालिका एवं जनसेवा के सदस्य आदि निर्वाचकों के नाम प्रस्तावित प्रारूप निर्वाचक नामावली में है। इन नामों के गलती से भी विलोपन रोकने के लिये नामावली डेटाबेस में इनकी उचित फ्लेगिंग की जाए।

12. **नामावली के डेटाबेस में निःशक्तजनों की फ्लेगिंग :–** निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये आवश्यक फार्म–6 में निःशक्तता की जानकारी देने के लिये एक वैकल्पिक फिल्ड है, आयोग ने निदेशित किया है कि निःशक्त निर्वाचकों के ऐसे सभी प्रकरण जिन्होंने फॉर्म–6 में जानकारी दी है उन्हें इलेक्टोरल डेटाबेस में फ्लेग किया जाना चाहिये उनकी निःशक्तता के प्रकार के साथ जिससे कि वोटिंग के समय मतदान केन्द्रों पर उनके लिये आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा सकें। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि निर्वाचक नामावली में किसी भी तरह से निःशक्तता की जानकारी प्रदर्शित नहीं होना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो डोर टू डोर सत्यापन के दौरान इस डाटा को संग्रहित करने की कार्रवाई की जाए।

13. **ईआरओ नेट का अनुवीक्षण :–** जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ईआरओ नेट डैशबोर्ड पर समय–समय पर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह फिर रेखांकित किया जा रहा है कि सभी संबंधित, ईआरओ नेट डेशबोर्ड पर नियमित रूप से भरे जायेंगे और उसकी नियमित जांच भी करेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा की गई कोई भी चूक या गलती के लिये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

14. **अवलोकन :–** प्रमंडलीय आयुक्त जो कि अपने प्रमंडल के जिलों की निर्वाचक नामावली के प्रेक्षक के रूप में कार्य करेंगे उनके अतिरिक्त भी आयोग अपने प्रेक्षक/आयोग के पदाधिकारी/नामावली अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकता है जो कि पुनरीक्षण कार्य की जांच, अंकेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि **नामावली से संबंधित सभी रिकॉर्ड जिसमें कि प्रगति पत्रक और स्थलीय स्तर पर किये गये कार्य की सूची भी है उन्हें अद्यतन रखा जाये और प्रेक्षकों को तुरंत उपलब्ध भी करायी जाये।**

15. **राजनैतिक दलों के साथ बैठक और नामावली साझा करना :–**

I. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करेंगे और प्रारूप प्रकाशन के पूर्व उन्हें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत करायेंगे और उनसे सहयोग की अपेक्षा के बारे में बतायेंगे। निर्धारित तिथि पर प्रारूप प्रकाशन हो जाना चाहिये जिसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार हो और प्रारूप नामावली की प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रेस और मीडिया की उपस्थिति में एक आम बैठक में देनी चाहिये। हर हाल में **राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रारूप नामावली की प्रति प्राप्त होने की पावती लेना चाहिये और इसको रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना चाहिये।**

II. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को कानून और प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी देना एवं निर्वाचक नामावली में संशोधन के लिये उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। राजनैतिक दलों को जारी किये गये पत्रों की प्रतिलिपि आयोग को दी जानी चाहिये।

III. ईआरओ द्वारा सभी राजनैतिक दलों को साप्ताहिक आधार पर दावे एवं आपत्तियों की सूची उपलब्ध करानी चाहिये।

IV. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम क्रमांक 11 (c) 22 (c) के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली के प्रारूप और अंतिम प्रकाशन के तुरंत पश्चात प्रारूप और अंतिम नामावली के पूरे 2 सेट सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क देने चाहिये। (इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिये इलेक्टॉरल रोल मेनुअल 2016 के चेप्टर 25 के पेरा 25.3 को देखें)

V. जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये 1 बीएलए नियुक्त करने के लिये अनुरोध करेंगे जो कि पुनरीक्षण अवधि में बी.एल.ओ. के साथ जुड़े रहेंगे। बी.एल.ओ. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए के साथ प्रारूप निर्वाचक नामावली को देखेंगे और सुधारों को चिन्हित करेंगे। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए एक बार नियुक्त होने पर लगातार कार्य करेंगे जब तक कि उनकी नियुक्ति संबंधित राजनैतिक दल द्वारा रद्द नहीं की जाती है।

VI. राजनैतिक दलों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए को अनुमति दी है कि वह थोक में आवेदन जमा कर सकता है, इस शर्त के साथ कि वह 1 दिन में 1 बार बी.एल.ओ. को 10 आवेदनों से ज्यादा जमा नहीं करेगा। **यदि एक बीएलए दावे आपत्तियों दायर करने की सम्पूर्ण अवधि में 30 आवेदनों से ज्यादा जमा करता है, तब ईआरओ/एईआरओ स्वयं इसका सत्यापन करेंगे।** इसके अतिरिक्त बीएलए भी आवेदन पत्रों की 1 सूची इस घोषणा के साथ जमा करेगा कि उसने सभी आवेदन पत्रों की जानकारी की जांच स्वयं की है और वह इस बात से संतुष्ट है कि आवेदनों में दी गई जानकारी सही है।

16. **पारदर्शिता के उपाय :–** निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने हेतु दिन–प्रतिदिन के आधार पर प्ररूप 6, 7, 8, 8क के रूप में प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्रों के कम्प्यूटरीकरण और पोस्टिंग का कार्य किया जाना है। इसके अलावा प्रारूप निर्वाचक नामावली, अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली, दावे–आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाना है। उक्त सूचियों को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ भी साझा किया जाना है। ई.आर.ओ. नेट पर, प्राप्त दावे/आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की एक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित की जाना है, जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट पर आम जनता/नागरिकों की जानकारी के लिये साप्ताहिक रूप से अपलोड किया जायेगा।

17. **प्रचार–प्रसार :–** विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर्याप्त प्रचार–प्रसार और जागरूकता की मुहिम सुनिश्चित करेंगे। पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूरी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी मीडिया, राजनैतिक दलों, समाजिक संगठनों और रहवासी कल्याण समितियों को

देंगे और नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तिथि के बहुत पहले निर्वाचकों और पात्र आबादी को इस बारे में सूचित करेंगे। नामावली प्रारूप प्रकाशन को प्रभावी बनाने के लिये स्वीप कार्यक्रम, और जिले और राज्य स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित करना चाहिये और नियमित रूप से प्रेस के साथ भी बैठक की जाए।

18. **<u>निर्वाचक नामावली का एकीकरण</u>** :– आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के एकीकरण के संबंध में दिनांक 25.09.2018 और 14.02.2019 को निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका उपयोग निर्वाचन के दौरान किया गया है। वर्तमान निर्वाचक नामावली में भी इन निर्देशों का अनुपालन किया जाना है। **निर्वाचक नामावली का मुद्रण केवल ई.आर.ओ.–नेट के माध्यम से ही किया जाना है।**

निर्वाचक नामावली के एकीकरण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि

I. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2020 के लिये मदर रोल को प्रकाशित करने के लिये प्रारूप प्रकाशन के समय, संशोधन के दौरान तैयार किये गये 3 सप्लीमेंट और उसके बाद लगातार अपडेशन को, परिवार के सदस्यों को एक साथ लाकर एकीकृत और सम्मिलित किया जायेगा (जैसे : प्रथम सप्लीमेंट अंतिम प्रकाशन, 2019 के समय की, द्वितीय सप्लीमेंट लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निर्वाचक नामावली के लिये तैयार की गई मार्कड कॉपी/वर्किंग कॉपी, तृतीय सप्लीमेंट विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के लिये निरंतर अद्यतन का दौरान तैयार की गई पूरक सूची (प्रारूप प्रकाशन)। आशय यह है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के मदर रोल (प्रारूप) में सभी हटाई गई प्रविष्टियों को हटाने और परिवार के सदस्यों प्रविष्टियों को बंडल करने के बाद पुनः क्रमबद्ध किया जायेगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2020 के लिये जोड़ी गई, विलोपित की गई और संशोधित की गई प्रविष्टियों को ई.आर.ओ. नेट के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा जनरेट किया जाना है, जिसकी प्रति भविष्य के लिये रिकार्ड में रखी जानी है।

II. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2020 के अंतिम प्रकाशन के समय, अंतिम रोल एकीकृत होगा, जिसमें सभी अतिरिक्त प्रविष्टियां मदर रोल की अंतिम प्रविष्टि के बाद निरंतरता में क्रमांक संख्या के साथ आयेगी और प्रारूप प्रकाशन के दौरान सभी संशोधन और विलोपन होंगे। आयोग के निदेशों के अनुसार उक्त सभी संशोधन मदर रोल में परिलक्षित होंगे।

III. ई.आर.ओ. नेट में जोड़ी/संशोधित/विलोपन की गई प्रविष्टियों की सूची पृथक से तैयार कर राजनैतिक दलों को नहीं दिया जाना है। ई.आर.ओ. नेट के माध्यम से ई.आर.ओ. द्वारा जनरेट की गई उक्त सूची की प्रति ही भविष्य के संदर्भ के लिये रखी जानी है।

19. **<u>अंतिम प्रकाशन के लिये आयोग का अनुमोदन</u>** :–

I. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आयोग की लिखित अनुमति नामावली के अंतिम प्रकाशन के लिये पहले से ही लेना चाहिये, इस हेतु एक प्रमाण–पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित किया जाना है कि मृत/डी.एस.ई./शिफ्ट/रजिस्टर्ड डेथ और अपंजीकृत निर्वाचकों के मामलों का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, सभी तार्किक त्रुटियों को हटा दिया गया है और फोटो निर्वाचक नामावली में 100 प्रतिशत ईपिक और 100 प्रतिशत फोटो कवरेज प्राप्त कर लिया गया है।

II. इस हेतु निवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप 1 से 8 के साथ दिनांक 25 सितम्बर 2019 तक कर देना चाहिये। साथ ही प्रारूप 1 से 8 और मेमोरेण्डम/नोट आवश्यक रूप से देनी चाहिये यह बताते हुये कि नामावली पुनरीक्षण कार्य में लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया गया और यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे अगले सतत् अद्यतन में कैसे प्राप्त किया जायेगा। किसी भी स्थिति में यह कार्य अंतिम प्रकाशन के 5 दिन पूर्व कर लिया जाना चाहिये जिससे कि अंतिम प्रकाशन तिथि के 3 दिन पहले आयोग की अनुमति प्राप्त हो सके।

III. यह स्पष्ट है कि ई.आर.ओ. नेट के माध्यम से ही प्रारूप 1 से 8 तैयार किया जाना है। इसके लिये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2019 के दौरान दर्ज की गई age-cohort अनुमानित जनसंख्या का डेटा तुरंत जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपडेट किया जाये।

20. **<u>अंतिम प्रकाशन की जानकारी</u> :–** जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में अन्तिम प्रकाशन की **<u>जानकारी अपराह्न 1:00 बजे तक</u>** इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। जिससे आयोग को प्रकाशन की जानकारी प्रेषित की जा सके। अंतिम प्रकाशन की तिथि से पृथक से अवगत कराया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्रवाई समयसीमा में पूर्ण करायी जाये। साथ ही आयोग के निर्देशों से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/बीएलओ सुपरवाईजर एव बीएलओ अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे उनके द्वारा समयसीमा में कार्य किया जा सके।

विश्वासभाजन

26/8

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक – 6337 पटना, दिनांक 26 अगस्त, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक – 6337 पटना, दिनांक 26 अगस्त, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।